

कार्यालय, अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश



ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग

शैक्षणिक सत्र 2025-26

(मध्यप्रदेश शासन के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी संस्थान)

विषय सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	पाठ्यक्रमों की सूची (<i>List of Courses</i>)	3
2.	पंजीयन (<i>Registration</i>)	4
3.	दस्तावेजों का सत्यापन (<i>Verification of Documents</i>)	6
4.	प्राथमिकताक्रम का चयन (<i>Choice Filling</i>)	6
5.	मेरिट (<i>Merit</i>)	8
6.	आवंटन (<i>Allotment</i>)	8
7.	अपग्रेडेशन (<i>Upgradation</i>)	8
8.	प्रवेश (<i>Admission</i>)	9
9.	आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन (<i>Internal Branch Sliding</i>)	10
10.	संस्था स्तर की काउंसलिंग (<i>College Level Counselling</i>)	11
11.	प्रवेश निरस्तीकरण (<i>Admission cancellation</i>)	12
12.	विशेष सीटों की उपलब्धता एवं प्रथमिकताक्रम लॉक करने की पाठ्यक्रम वार जानकारी	13
13.	सारणी क्रमांक-1	14
14.	आरक्षण (<i>Reservation</i>)	14
15.	क्षैतिज आरक्षण (<i>Horizontal Reservation</i>)	14
16.	सारणी क्रमांक-2, सारणी क्रमांक-3, सारणी क्रमांक-4, एवं सारणी क्रमांक-5	15
17.	पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हता, प्रवेश का आधार एवं महत्वपूर्ण जानकारी	16
18.	सामान्य निर्देश	25
19.	अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियाँ	25

पाठ्यक्रमों की सूची

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	डिप्लोमा (Diploma)
2.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत)
3.	डिप्लोमा आर्किटेक्चर (Diploma Architecture)
4.	लेटरल एण्ट्री-डिप्लोमा (तृतीय सेमेस्टर) {Lateral Entry-Diploma (3rd Semester)}
5.	डिप्लोमा-वर्किंग प्रोफेशनल्स (Diploma-Working Professionals)
6.	बी.टेक./बी.ई.(B.Tech./B.E.)
7.	लेटरल एण्ट्री बी.टेक./बी.ई. (तृतीय सेमेस्टर) {Lateral Entry-B.Tech./B.E. (3rd Semester)}
8.	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch)
9.	बैचलर ऑफ फार्मसी/डिप्लोमा ऑफ फार्मसी (B. Pharmacy/D.Pharmacy)
10.	लेटरल एण्ट्री-फार्मसी (तृतीय सेमेस्टर) {LT-B. Pharmacy (3rd Semester)}
11.	बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी (BHMCT)
12.	बैचलर ऑफ डिजाईन (B. Design)
13.	फार्म-डी (Pharm-D)
14.	बी.टेक./बी.ई.- वर्किंग प्रोफेशनल्स (B.Tech./B.E.-Working Professionals)
15.	एम.सी.ए. (MCA)
16.	एम.बी.ए. (MBA)
17.	एम.टेक.-एम.ई. (M.Tech./M.E)
18.	एम.फार्मसी (M.Pharma.)
19.	एम.आर्किटेक्चर (M. Arch.)
20.	एम.प्लानिंग (M. Planning)
21.	एम.टेक./एम.ई. - वर्किंग प्रोफेशनल्स (M.Tech./ME - Working Professionals)
22.	फार्म-डी (पी.बी.) {Pharm-D (PB)}
23.	एकीकृत एम.बी.ए (IIMBA)
24.	एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA)

पंजीयन (Registration)

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में केवल एक बार पंजीयन कराना आवश्यक होगा, जो कि निःशुल्क (NRI, IPS, PIO/FN/CIWGC एवं CLC को छोड़कर) रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा आधार पर उपलब्ध होगी।
3. प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को, पंजीयन, प्रवेश परीक्षा में आवंटित रोल नंबर/पंजीयन क्रमांक से करना होगा। रोल नंबर/पंजीयन क्रमांक नंबर से पंजीयन करने पर प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा यथा, उम्मीदवार का नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, इत्यादि पंजीयन स्क्रीन पर स्वतः ही दर्शित होने लगेगा, शेष चाही गई जानकारीयों उम्मीदवार को स्वयं ही दर्ज करनी होगी, दर्ज की गई जानकारी दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान त्रुटिपूर्ण पाई जाने पर उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जावेगा। पाठ्यक्रम वार प्रवेश परीक्षा सारणी क्रमांक-1 में देखें।
4. अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये अर्हकारी परीक्षा के रोल नंबर के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश/सी.बी.एस.ई के परीक्षा परिणाम का सत्यापन एवं म.प्र. लोकसेवा अभिकरण (M.P. e-district) के आवेदन क्रमांक से श्रेणी (SC/ST/OBC)/मूलनिवासी प्रमाण-पत्रों का ऑनलाईन ई-सत्यापन (Online e-verification) किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई-वेरिफाइड हो जाती है, तो उन्हें पंजीयन सह-ई-वेरिफिकेशन की पर्ची प्राप्त होगी। उम्मीदवार चैक कैंडिडेट स्टेटस लिंक (Check Candidate Status Link) से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का ऑनलाईन ई-सत्यापन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः नहीं हुआ है उन्हें दी गई जानकारीयों के आधार पर पंजीयन पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी मूल आवश्यक दस्तावेज पंजीयन के समय अपलोड (Upload) करना होगा।
6. अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज submit करने के पूर्व view कर यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय है। दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जायेगा, जिसकी जवाबदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची में प्रतिशत/अंक के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, वे अपनी अंक सूची के साथ संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला (conversion formula) का दस्तावेज मर्ज (merge) करके अपलोड (Upload) करें। (अर्थात् अंक सूची एवं ग्रेड कन्वर्जन फार्मूले के दस्तावेज को मर्ज (merge) कर एक जेपीजी (.jpg) फाईल बनाकर अपलोड करें।

8. ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु उनकी एक से अधिक अंक सूची हैं, तो वे संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांक/पूर्णांक के साथ परीक्षा परिणाम का भी स्पष्ट उल्लेख हो, को **(Upload)** करें, इसके अभाव में अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जायेगा, जिसकी जवाबदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
9. पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होते ही, दिये गये मोबाइल नम्बर पर एक अस्थायी पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे प्राथमिकताक्रम चयन **(Choice Filling)** के समय बदलकर सुरक्षित रखें और किसी को भी ना बतायें।
10. काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स **(Quick Links)** में **Cancel Registration** करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
 - ✓ **Registration** अथवा दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त, अभ्यर्थी अपनी प्रदत्त जानकारी में किसी प्रकार के संशोधन के लिए काउंसलिंग पोर्टल पर उपलब्ध **"Cancel Registration"** लिंक पर जाकर अपना **Registration** निरस्त कर, पुनः पूर्व में आवंटित रोल नंबर का उपयोग कर आवश्यक संशोधन उपरांत जानकारी **submit** कर सकते हैं, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के दस्तावेजों का ऑनलाईन पुनः सत्यापन होगा।
11. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरांत **Edit Registration** की सुविधा (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये)
 - ✓ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, सत्यापित उम्मीदवारों के लिये **Edit Registration** की सुविधा भी समय-सारणी अनुसार केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। प्राथमिकताक्रम लॉक करने के उपरान्त **Edit Registration** की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
 - ✓ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, सत्यापित उम्मीदवारों को सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर **Edit Registration** की लिंक खुलवानी होगी।
 - ✓ **Edit Registration** सुविधा का उपयोग करते हुये आवश्यक संशोधन के उपरांत जानकारी **Submit** करनी होगी अन्यथा उम्मीदवार काउंसलिंग के वर्तमान चरण से बाहर हो जायेगा।
12. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरांत सत्यापन में अपात्र उम्मीदवारों हेतु **Edit Registration** की सुविधा
 - ✓ **Edit Registration** सुविधा का उपयोग करते हुये आवश्यक संशोधन के उपरांत जानकारी **Submit** करनी होगी यह सुविधा समय-सारणी अनुसार केवल एक बार उपलब्ध रहेगी, अपात्र उम्मीदवार काउंसलिंग के वर्तमान चरण से बाहर हो जायेगा।

दस्तावेजों का सत्यापन (Verification of Documents)

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को अपलोड (Upload) किये गये दस्तावेजों से मिलान कर, ऑनलाईन सत्यापन करने के उपरान्त ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम चयन के लिये पात्र या अपात्र (Eligible or Not Eligible) का निर्धारण किया जायेगा।
2. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में निर्धारित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं तो वह प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
3. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धारित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, एवं पात्रता में सुधार चाहते हैं तो वे, काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स (Quick Links) में उपलब्ध Cancel Registration लिंक से पूर्व में प्राप्त रोल नम्बर का उपयोग कर, आवश्यक सुधार करते हुए ऑनलाईन सत्यापन के लिये आवेदन Submit करें। तत्पश्चात् सत्यापन उपरांत पात्रता के आधार पर "प्राथमिकताक्रम का चयन" कर सकते हैं।
4. सत्यापन पश्चात, पात्र/अपात्र (Eligible/Not Eligible) होने की सूचना पंजीयन में दिये गये मोबाइल पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी साथ ही उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि इसकी पुष्टि चैक कैंडिडेट स्टेटस लिंक (Check Candidate Status Link) के माध्यम से स्वयं ही कर लें।
5. सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धारित की गई पात्रता के पश्चात, यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग में इच्छित संस्थाओं/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताक्रम का चयन कर निर्धारित शुल्क जमा कर Submit नहीं करता है तो वह, आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
6. पंजीयन के समय भरी जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को संस्था का आवंटन होने पर, आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापन के दौरान अपात्र/विसंगति पाये जाने पर, अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling)

1. पंजीयन सह-ई-सत्यापन की पर्ची प्राप्त अभ्यर्थी, पंजीयन उपरान्त प्राथमिकताक्रम का चयन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राथमिकताक्रम को Submit कर सकते हैं।
2. सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थी ही संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकेंगे।
3. अभ्यर्थी न्यूनतम सारणी क्रमांक-1 अनुसार अथवा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकताक्रमानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) चयन करने की सलाह दी जाती है।
4. जिन पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना की सीटें उपलब्ध है उन पाठ्यक्रमों में योजना के लिये पात्र अभ्यर्थी सामान्य पूल की सीटों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क

छूट (TFW) योजना की सीटों के लिये एक-साथ प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) कर Submit करने की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।

विशेष नोट:- मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जाती हैं अतः (TFW) योजना के लिए पात्र आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल (TFW) योजना की सीटों का चयन न करें, (TFW) योजना की सीटों के साथ सामान्य पूल की सीटों का भी चयन अवश्य करें।

- 5 अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के भुगतान के पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते हैं।
- 6 काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice Filling) उपरांत Submit की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को सारणी क्रमांक-2 अनुसार (काउंसलिंग शुल्क, आंशिक शिक्षण शुल्क एवं पोर्टल शुल्क) शुल्क देय होगा जो वापसी योग्य नहीं (Non-Refundable) होगा। शुल्क का भुगतान न किये जाने की स्थिति में प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice Filling) को लॉक नहीं माना जायेगा।
- 7 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, अथवा जिन्हें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः करना होगी। इस हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को सारणी क्रमांक-3 अनुसार शुल्क देय होगा जो वापसी योग्य नहीं (Non-Refundable) है शुल्क का भुगतान न किये जाने की स्थिति में प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice Filling) को लॉक नहीं माना जायेगा।
- 8 अभ्यर्थियों को submit किये गये प्राथमिकताक्रम के चयन (Choice Filling) में परिवर्तन का एक अवसर समय-सारिणी के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क रुपये 100/- देय होगा। जो वापसी योग्य नहीं होगा।
- 9 अभ्यर्थी द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाईन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा। जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें, प्रवेश न लेने की स्थिति में इसे जब्त कर लिया जायेगा।

- 10 **MP BPL and Class-IV:** – म.प्र. शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पाल्य/म.प्र. राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के पाल्य जो प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा की मेरिट रैंक के आधार पर इस हेतु जारी की गई कट-ऑफ में हैं, केवल ऐसे अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार सुविधा का लाभ लेने हेतु पंजीयन तथा दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) कर लॉक कर सकेंगे। (कट-ऑफ की जानकारी के लिये वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> देखें, यह सुविधा Diploma/Diploma Architecture/B.Tech. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध है।)

मेरिट (Merit)

1. प्राथमिकताक्रम के चयन की अंतिम तिथि के उपरांत संबंधित चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जायेगी।

आवंटन (Allotment)

1. प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित चरण में मेरिट अनुसार आवंटन जारी किया जायेगा।

अपग्रेडेशन (Upgradation)

1. बी.टेक./बी.ई. (B.E./B.Tech.) पाठ्यक्रम में आयोजित प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का अवसर प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जो अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाइन अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
2. अपग्रेडेशन में अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में से उसे आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम से उच्च वरीयता की प्राथमिकताक्रम के लिये आवंटन हेतु अवसर प्राप्त होगा।
3. संस्था/ब्रांच का आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन करने के इच्छुक है तो उन्हें अपग्रेडेशन हेतु **सारणी क्रमांक-4** अनुसार अतिरिक्त आंशिक शिक्षण शुल्क एवं पोर्टल शुल्क देय होगा। शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन को लॉक नहीं माना जायेगा।
4. अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को **अपग्रेडेशन होने पर पूर्व आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा** एवं अभ्यर्थी को नया आवंटन पत्र प्राप्त करना होगा। यदि अभ्यर्थी आवंटन से संतुष्ट है तब उन्हें आवंटन प्रिंट आउट में दर्शाई गई

नई आवंटित संस्था में अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करना होगा। प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी इस चरण से बाहर हो जायेगा।

5. अपग्रेडेशन न होने पर अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्था का नवीन आवंटन पत्र प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई अंतिम तिथि तक आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
6. यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटन जारी होते समय सीट आवंटन नहीं हुआ है तो उन्हें स्वतः ही अपग्रेडेशन राउंड में सम्मिलित किया जाकर अपग्रेडेशन की कार्यवाही की जावेगी।
7. अभ्यर्थी जिन्हें संस्था प्राथमिकताक्रम चयन सूची में प्रथम च्वाइस प्राप्त हुई है तब उन्हें नैसर्गिक रूप से अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेड संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानान्तरित किया जायेगा। जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें। प्रवेश ना लेने की स्थिति में इसे जब्त कर लिया जायेगा।

प्रवेश (Admission)

1. अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर समस्त जानकारियों का सत्यापन निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा, सत्यापन के उपरांत संस्था में निर्धारित शैक्षणिक शुल्क जमा कराना होगा।
2. दस्तावेजों के सत्यापन के समय ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला (conversion formula) उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र लाना होगा।
3. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा। सही पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी, अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थियों को (Not Eligible) की पर्ची प्राप्त होगी जिसमें सत्यापित नहीं होने के कारण का उल्लेख भी रहेगा। पर्ची की जांच कर लें कुछ त्रुटि पाये जाने पर सत्यापन करने वाले अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
4. अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थी के पासवर्ड से लॉक होकर पूर्ण माना जायेगा, अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची जारी की जावेगी। अभ्यर्थी, पर्ची को सुक्षमता से जांच लें, त्रुटि पाये जाने पर संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करें।

5. प्रवेश पर्ची प्राप्त कर स्वहस्ताक्षरित एवं संस्था प्रतिनिधि के हस्ताक्षर उपरान्त सुरक्षित रखना होगा।
6. अपात्र अभ्यर्थी (**Not Eligible candidate**) रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर, दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
7. उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।
8. अनुपस्थित/अपात्र (**Not Eligible**) अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा ऐसे रिक्त स्थान को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
9. प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर **चैक कैंडिडेट स्टेटस लिंक (Check Candidate Status Link)** से सुनिश्चित कर सकते हैं।
10. अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट www.afrcmp.org देखें)
11. यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, तो अभ्यर्थी स्वयं ही प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Sliding)

1. बी.टेक./बी.ई. (**B.Tech./B.E.**) पाठ्यक्रम में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के पश्चात् एवं संस्था स्तर की काउंसलिंग प्रारंभ किये जाने के पूर्व संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों को, संस्था में उपलब्ध सीटों पर, समय सारणी अनुसार, ऑनलाइन प्राथमिकताक्रम प्रस्तुत कर आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन का विकल्प दिया जायेगा। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क रुपये 100/-देय होगा। ब्रांच परिवर्तन होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश परिवर्तित ब्रांच में स्वतः ही मान लिया जावेगा।

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

1. संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये समय सारणी में निर्धारित तिथियों की प्रथम दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी, इस हेतु संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे, सीट रिक्त रहने की दशा में समय-सारणी में दर्शित अगली दिनांक को संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) आयोजित की जावेगी।
2. संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है।
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के पूर्व में संचालित किसी भी चरण में पंजीयन नहीं कराया है उन्हें पंजीयन के समय सारणी क्रमांक-5 अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (Non-Refundable) होगा।
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के पूर्ववर्ती चरणों में पंजीयन कराने के उपरांत प्राथमिकताक्रम का चयन कर आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन्हें पंजीयन के समय सारणी क्रमांक-5 अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (Non-Refundable) होगा।
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु सारणी क्रमांक-4 अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (Non-Refundable) होगा।
 - ✓ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश उपरांत अपना प्रवेश निरस्त करा लिया है और वे पुनः संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सारणी क्रमांक-4 अनुसार शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (Non-Refundable) होगा।
3. संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के पूर्व यदि अभ्यर्थी पंजीयन में कुछ भी सुधार (Edit) करना चाहता है तो, पोर्टल पर उपलब्ध क्विक लिंक्स (Quick Links) में Cancel Registration पर जाकर सुधार कर सकते हैं। इस हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 30/- देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

4. संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का सत्यापन प्रवेश के पूर्व सहायता केन्द्रों से, नहीं हुआ है, उनका प्रवेश प्रावधिक माना जायेगा, ऐसे प्रावधिक प्रवेशित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन किये जाने पर, यदि अभ्यर्थी अपात्र होता है, तब अभ्यर्थी का प्रावधिक प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, इस असुविधा से बचने के लिये, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में, शुरुआत की दिनांक में पंजीयन करवायें और दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन किये जाने के उपरान्त ही संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश लें।
5. संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में प्रवेश की कार्यवाही के समय अभ्यर्थी का **Real Time Photo Capture** किया जाना अनिवार्य होगा।
6. काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच वार रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहेगी।
7. अभ्यर्थी द्वारा संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा। जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करवा लें। प्रवेश न लेने की स्थिति में इसे जब्त कर लिया जायेगा।

प्रवेश निरस्तीकरण (Admission cancellation)

1. किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित तिथि में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगी। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं।
2. काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहेगी।
3. यदि किसी प्रकरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके

- अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
4. प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।
 5. अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी तथा प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) जारी किया जावेगा।

विशेष सीटों की उपलब्धता एवं प्रथमिकताक्रम लॉक करने की पाठ्यक्रम वार जानकारी

- मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के लिये, शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश।
- मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के लिये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत प्रवेश।
- मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश।
- अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश।
- संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश।
- विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश।
- आल इंडिया (AI) सीटें पर आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों की सीटें (JKM).
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (JKR).

नोट:-

- ✓ विशेष सीटों की उपलब्धता एवं प्रथमिकताक्रम लॉक करने की पाठ्यक्रम वार जानकारी, **सारणी क्रमांक-1** में देखें।
- ✓ विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध प्रवेश नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

(विशेष सीटों की उपलब्धता एवं प्रथमिकताक्रम लॉक करने की पाठ्यक्रम वार जानकारी)

सारणी क्रमांक-1											
S.No.	Course	(JKR)	(JKM)	(AI)*	NRI Seats	IPS Seats**	TFW	EWS	BPL */ Class-IV*	Minimum Choice Filling	PIO/FN/ CIWGC
1	Diploma	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	10
2	Diploma Architecture	Yes	Yes	Yes	01
3	Diploma Engi. (WP)	01
5	Diploma Eaxlavya/Ambedker	01
6	LT - ITI to Diploma (3rd Semester)	10
7	BE/B.Tech.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	10	yes
8	BE/B.Tech. (WP)	01
9	B. Architecture	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	01
10	B/D Pharmacy	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	10
11	BHMCT	Yes	Yes	Yes	Yes	01
12	B. Design	Yes	Yes	Yes	Yes	01
13	Pharm-D	Yes	01
14	Lateral Entry (BE/B.Pharmacy)	10
15	MCA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	10
16	MBA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	10
17	ME/M.Tech	Yes	01
18	ME/M.Tech. (WP)	01
19	M.Pharmacy	Yes	01
20	M. Architehture	01
21	M.Planning	Yes	01
22	IIMBA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	01
23	IIMCA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	01
24	Pharm-D(PB)	01

* केवल शासकीय संस्थाओं के लिये। ** केवल निजी संस्थाओं के लिये।

आरक्षण (Reservation)

- सभी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation)

- अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांगजन (D) तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 1 प्रतिशत रहेगा।

नोट:- आरक्षण एवं क्षैतिजीय आरक्षण की विस्तृत जानकारी के लिये प्रवेश नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन करें।

सारणी क्रमांक-2				
पाठ्यक्रम	काउंसलिंग शुल्क	आंशिक शिक्षण शुल्क	पोर्टल शुल्क	कुल
सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर)	रू 400/-	रू 1000/-	रू 130/-	रू 1530/-
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	रू 200/-	रू 130/-	रू 330/-
डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत)	रू 130/-	रू 130/-
सारणी क्रमांक-3				
सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर)	रू 1000/-	रू 130/-	रू 1130/-
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	रू 130/-	र/ 130/-
सारणी क्रमांक-4				
सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर)	रू 1000/-	रू 30/-	रू 1030/-
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	रू 30/-	रू 30/-
सारणी क्रमांक-5				
सभी पाठ्यक्रम (डिप्लोमा छोड़कर)	रू 400/-	रू 1000/-	रू 30/-	रू 1430/-
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	रू 200/-	रू 30/-	रू 230/-
डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत)	रू 30/-	रू 30/-

पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हता, प्रवेश का आधार एवं महत्वपूर्ण जानकारी

(विस्तृत जानकारी के लिये प्रवेश नियम देखें)

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होने के साथ-साथ निम्न शैक्षणिक अर्हता होना अनिवार्य होगा।

1. डिप्लोमा (Diploma)

➤ **शैक्षणिक अर्हता:-** माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

➤ **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

नोट:- माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग/माइन सर्वेइंग पाठ्यक्रमों के लिये महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, साथ ही माइनिंग में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, शारीरिक रूप से अक्षम छात्र जो खदानों में कार्य करने के मापदंड के अनुसार नहीं होंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आवंटित संस्था में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही वे प्रवेश के पात्र होंगे।

2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत)

➤ **शैक्षणिक अर्हता:-** माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

➤ **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

नोट:- योजनान्तर्गत सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थी को मिलने वाली सुविधाएँ:-

1. छात्रवृत्ति:-

➤ रु 1000/- प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी।

2. निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राइंग एवं अन्य सामग्री:-

➤ प्रति उपसत्र अधिकतम रु 2000/- मूल्य की प्रति अभ्यर्थी।

3. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें:-

➤ प्रति उपसत्र अधिकतम रु 2000/- मूल्य की प्रति अभ्यर्थी।

4. निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन:-

➤ अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान की जावेगी।

5. निःशुल्क परीक्षा:-

➤ राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की वास्तविक राशि।

3. **डिप्लोमा आर्किटेक्चर (Diploma Architecture)**
- **शैक्षणिक अर्हता:-** माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
 - **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
4. **लेटरल एण्ट्री-डिप्लोमा (तृतीय सेमेस्टर) {Lateral Entry-Diploma (3rd Semester)}**
- **शैक्षणिक अर्हता:-** 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- अथवा**
- 10 + 2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, प्रवेश नियमों की **तालिका-1** के अनुसार विषयों की समतुल्यता एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- **प्रवेश का आधार:-** तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
5. **डिप्लोमा-वर्किंग प्रोफेशनल्स (Diploma-Working Professionals)**
- **शैक्षणिक अर्हता:-** 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- अथवा**
- 10 + 2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, प्रवेश नियमों की **तालिका-1** के अनुसार विषयों की समतुल्यता एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - **प्रवेश का आधार:-** तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
- नोट:-** अभ्यर्थी के कार्यक्षेत्र से शैक्षणिक संस्थान 50 किलोमीटर के दायरे में होने के साथ-साथ न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव हो।
6. **बी.टेक./बी.ई.(B.Tech./B.E.)**
- शैक्षणिक अर्हता:-** माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिक / गणित / रसायन / कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ बायोलॉजी/ इन्फार्मेटिक्स प्रेक्टिस / बायोटेक्नालॉजी / टेक्नीकल वोकेशनल सब्जेक्ट / एग्रीकल्चर / इंजीनियरिंग ग्राफिक्स / बिजनेस स्टडीज / एन्टरप्रोन्यरशिप विषयों के साथ प्रवेश नियमों की **तालिका-1** में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिये एग्रीकल्चर स्ट्रीम (कृषि से संबंधित तीन मुख्य विषयों के साथ) से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

सम्मिलित रूप से अर्हता के लिये तालिका-1 के अनुसार आवश्यक तीन विषयों में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

- **प्रवेश का आधार:-** नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन)- 2025 की घोषित ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बी.ई./बी.टेक. में प्रवेश दिये जायेंगे। {एनटीए द्वारा जेईई (मेन) की घोषित ऑल इंडिया रैंक केवल धनात्मक समग्र अंक (positive composite score) प्राप्त उम्मीदवार ही पात्र होंगे।}
- नोट:-** यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो द्वितीय दौर की काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

7. **लेटरल एंट्री बी.टेक./बी.ई. (तृतीय सेमेस्टर)** {Lateral Entry-B.Tech./B.E. (3rd Semester)}

- **शैक्षणिक अर्हता:-** अभ्यर्थी को इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित तीन वर्षीय/दो वर्षीय (लेटरल एंट्री के माध्यम से) इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बीएससी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा गणित विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

- **प्रवेश का आधार:-** तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

8. **बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information

Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate.

- **प्रवेश का आधार:-** प्रवेश **COA** द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा नाटा **NATA/Jee-Main-25** पेपर-2 के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर प्रवेश किये जायेंगे।

नोट:- प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर Jee-Main-2025 पेपर-2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा.

9. **बैचलर ऑफ फार्मसी/डिप्लोमा ऑफ फार्मसी (B. Pharmacy/D.Pharmacy)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-**

- **बी.फार्मसी:-** Passed 10+2 examination with English as one of the subjects and Physics, Chemistry, Mathematics (P.C.M.) and or Biology (P.C.B./P.C.M.B.) as optional subjects individually.

- **डिप्लोमा फार्मसी:-** A pass in 10+2 examination (science academic stream) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics.

- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट पर दिये जायेंगे।

10. **लेटरल एण्ट्री-फार्मसी (तृतीय सेमेस्टर) {LT-B. Pharmacy (3rd Semester)}**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed the 10+2 Examination with at least 45% marks and 40% marks in case of SC, ST, OBC category of Madhya Pradesh in aggregate.

- **प्रवेश का आधार:-** तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट पर दिये जायेंगे।

11. **बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टेक्नालॉजी (BHMCT)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed the 10+2 Examination (Qualifying Examination) from Board of Secondary Education Madhya Pradesh Bhopal or equivalent examination from recognized Board/University/ Institution with at least 45% marks and 40% marks in case of SC, ST, OBC category of Madhya Pradesh in aggregate.

- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट पर दिये जायेंगे।

12. **बैचलर ऑफ डिजाईन (B. Design)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed the 10+2 Examination (Qualifying Examination) from Board of Secondary Education Madhya Pradesh Bhopal or equivalent examination from recognized Board/University/ Institution with at least 45% marks and 40% marks in case of SC, ST, OBC category of Madhya Pradesh in aggregate.
- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

13. **फार्म-डी (Pharm-D)**

शैक्षणिक अर्हता:- 10+2 examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the following subjects:- Mathematics or Biology Or Passed in Diploma in Pharmacy

- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

14. **बी.टेक./बी.ई.- वर्किंग प्रोफेशनल्स (B.Tech./B.E.-Working Professionals)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** अभ्यर्थी को इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित तीन वर्षीय/दो वर्षीय (लेटरल एंट्री के माध्यम से) इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

अथवा

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बीएससी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा गणित विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}
- **प्रवेश का आधार:-** तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

नोट:- अभ्यर्थी के कार्यक्षेत्र से शैक्षणिक संस्थान 75 किलोमीटर के दायरे में होने के साथ-साथ न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव हो।

15. **एम.सी.ए. (MCA)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed any graduation degree (e.g.: B.E. / B.Tech. / B.Sc. / B.Com./ B.A. / B. Voc / BCA etc.) with

Mathematics at (10+2) level or at Graduation level. Obtained at least 50% marks and 45% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate. Bachelor's degree of minimum 3 years duration.

- प्रवेश का आधार:- प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के आधार पर तैयार मेरिट पर दिये जायेंगे।

16. **एम.बी.ए. (MBA)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-**

- Graduate with at least 50% marks and 45% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate. The Bachelor's degree must be of minimum three years' duration after passing Higher Secondary (10+2) examination.

- **प्रवेश का आधार:-**

- Admission in MBA against M.P. domiciled candidate seats, All India Seats, J&K Resident/Migrant Seats shall be done through Counselling on the basis of common merit lists provided by the National testing Agency (NTA) of CMAT 2025.
- If the seats remain vacant after the first round of counselling held on the basis of merit of common entrance test then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of marks obtained in the qualifying examination shall be taken by the competent authority.

17. **एम.टेक.-एम.ई. (M.Tech./M.E)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** A candidate seeking admission to M.E./M.Tech. Courses should be a Graduate in Relevant field of Engg. /Technology with at least 50% marks, 45% marks in case of Candidates belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) categories of Madhya Pradesh. Bachelors degree should be of minimum of four years' duration.

- **प्रवेश का आधार:-** First Round of Counselling shall be done on the basis of Valid GATE Score. If Seats remains vacant then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of percentage of marks obtained in the qualifying examination shall be taken by the competent authority.

18. **एम.फार्मसी (MPharma.)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed B.Pharmacy degree examination of an Indian University established by law in India from an institution approved by Pharmacy Council of India and has scored not less than 55% of the maximum marks (aggregate of four years of B. Pharm). For SC/ST candidates the prescribed percentage of marks will be 50% of the maximum marks (aggregate of four years of B. Pharm).

Or

For candidates having not less than 5 years' professional experience, after passing B. Pharm course, there shall be a relaxation in pass percentage from 55% to 50% for admission to M. Pharm programme.

- **प्रवेश का आधार:-** First Round of Counselling Shell be done on the basis of Valid Score for Qualified GPAT Exam. If Seats remains vacant then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of percentage of marks obtained in aggregate of four years of B. Pharm in the qualifying examination shall be taken by the competent authority.

19. **एम.आर्किटेक्चर (M. Arch.)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** passed an examination in B. Arch. Degree or equivalent with at least 50 percent aggregate marks or equivalent CGPI.
- **प्रवेश का आधार:-** First Round of Counselling Shall be done on the basis of Valid PGETA Score. if Seats remains vacant then the

decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of percentage of marks obtained in the qualifying examination shall be taken by the competent authority.

20. **एम. प्लानिंग (M. Planning)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Bachelor's Degree in Planning/Architecture/Civil Engineering or Master's Degree of Geography/Economics/Social Sciences or equivalent Degree with minimum 55% Marks or equivalent grade, 50% Marks in case of Candidate belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) Categories of Madhya Pradesh. Bachelors degree should be of minimum of four years' duration.
- **प्रवेश का आधार:-** First Round of Counselling Shall be done on the basis of Valid GATE/NET score. If Seats remains vacant then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of percentage of marks obtained (As per the criteria for award of degree by University/Institution) in the qualifying examination shall be taken by the competent authority.

21. **एम.टेक./एम.ई. - वर्किंग प्रोफेशनल्स (M.Tech./ME - Working Professionals)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Graduate in Relavent field of Engg. /Technology with at least 50% marks, 45% marks in case of Candidates belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) categories of Madhya Pradesh. Bachelors degree should be of minimum of four years' duration.
- **प्रवेश का आधार:-** Priority will be given to candidate having valid GATE Score card there after if seats remain vacant admission will be given on the basis of percentage of marks obtained (As per the criteria for Award of degree by University/Institution) in the qualifying examination.

नोट:- Professionals working in registered Industry /Organization (Central / State) / Private/ Public Limited Company/ MSMEs located within 50 Km radial distance from the institute.

22. **फार्म-डी (पी.बी.)** {(Pharm-D) PB}

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed in B.Pharmacy from an institution approved by the Pharmacy Council of India under Section 12 of the Pharmacy Act.
- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

23. **एकीकृत एम.बी.ए (IIMBA)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed the 10+2 Examination with at least 45% marks and 40% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate.
- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

24. **एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA)**

- **शैक्षणिक अर्हता:-** Passed the 10+2 Examination with at least 45% marks and 40% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate.
- **प्रवेश का आधार:-** प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

सामान्य निर्देश

- पंजीयन हेतु अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
- प्रत्येक कार्यवाही उपरांत प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
- शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा भी किया जा सकता है।
- **प्राथमिकताक्रम चयन (Choice Filling)** उपरांत submit करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार प्राथमिकताक्रम का चयन **(Choice Filling)** कर सेव **(Save)** कर लें, तत्पश्चात् एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी/किसी भी प्रकार का शुल्क न दें।
- प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित हों।
- विस्तृत समय-सारणी एवं अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि काउंसलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- यदि संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियाँ

- किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने हैं परंतु स्थानान्तरण एवं माईग्रेशन के मूल प्रमाण पत्र जमा करने होंगे यदि अभ्यर्थी द्वारा अन्य मूल-दस्तावेज जमा किये जाते हैं तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो-प्रति ही जमा करनी हैं।
- काउंसलिंग में पंजीयन **(Registration)** के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली **(AICTE)** / फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया **(PCI)** / काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर **(COA)** द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय

से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदनुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।

- अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण काउंसलिंग वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर चैक कैंडिडेट स्टेटस लिंक (Check Candidate Status Link) से अवश्य सुनिश्चित करें।
- शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.afrcmp.org देखें।

संपर्क:- 0755-6720205 एवं 2660441 ईमेल:- [dte\(dot\)helpcenter\(at\)mp\(dot\)gov\(dot\)in](mailto:dte(dot)helpcenter(at)mp(dot)gov(dot)in)

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
आयुक्त तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश